



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-05062026-273182
CG-CG-E-05062026-273182

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2762]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 4, 2026/ज्येष्ठ 14, 1948

No. 2762]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 2026/JYAISTHA 14, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 1 जून, 2026

रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 20 ई के तहत

का.आ. 2856(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसमें इसके पश्चात् (अ) उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (II) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 1506 तारीख 25 मार्च 2026 (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, विशेष रेल परियोजना दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अन्तर्गत झारसुगड़ा-रायगढ़, रायगढ़-चांपा, चांपा-बिलासपुर, तिल्दा-बिलासपुर, तिल्दा-दुर्ग, मुंडीकोटा-नागपुर, बिलासपुर-पेंडारोड-अनूपपुर, रायपुर-लखोली, दुर्ग - दारेकसा के मध्य में मौजूदा 1X25KV ट्रैक्शन सिस्टम को 3000 MT लोडिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2X25KV एटी फीडर व्यवस्था में अपग्रेड करने हेतु ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र राज्य में निष्पादन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी, और उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप धारा (4) के अधिन 20क अधिसूचना का सार दैनिक समाचार पत्र हरी-भूमि (हिन्दी), जनकर्म (हिन्दी), सेंट्रल क्रॉनिकल (इंग्लिश) दिनांक 09.04.2026 में प्रकाशित किया गया था, और निर्धारित समयावधि में कोई आपति प्राप्त नहीं हुई थी और उक्त अधिनियम की धारा 20 घ के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का निराकरण किया गया और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप धारा(1) के अनुसरण में सक्षम अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है, अतः अब केन्द्रीय सरकार सक्षम अधिकारी से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ड की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पुर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी, और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड के अनुसरण में यह घोषणा करती है इस अधिघोषणा के राजपत्र में प्रकाशित होने

पर इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यांतिक रूप से निहित हो जाएगी।

जिला - रायगढ़					राज्य - छत्तीसगढ़			
S.N.	अनुविभागीय अधिकारी(रा०)/सक्षम पदाधिकारी	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	स्वामित्व का प्रकार	भूमि की प्रकृति	खसरा सं.	कुल क्षेत्रफल (हे.)में.	अर्जित क्षेत्रफल (हे०) में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	अनुविभागीय अधिकारी (रा०), खरसिया, जिला - रायगढ़(छ.ग.)	खरसिया	बगडेवा	नोनीबाई बेवा गिरधारी, शंकरलाल पिता गिरधारी, जाति - गोंड, सा.देह भूमि स्वामी	कृषि	84/1	0.300	0.028
				खीकराम उर्फ प्रेमसिंह पिता मिठुराम, जाति गोंड, सा.देह भूमि स्वामी	कृषि	84/4	0.049	0.049
				संतराम पिता छेदीलाल अन्य पिछडा वर्ग रावत, सा.देह भूमि स्वामी	कृषि	81/1	0.260	0.102
				कमलसिंह पिता भजोराम, रमैया पिता सोनसाय, राकेश पिता सोनसाय, कमलमति पिता भजोराम, बिसाहीनबाई पति भजोराम, सरिता पति सोनसाय जाति रावत सा.देह भूमिस्वामी	कृषि	81/2	0.551	0.116
				1) चंद्रिका बाई पति महेत्तर 2) रामलाल पिता सेतराय जाति गोंड सा. देह भूमि स्वामी	कृषि	161	1.133	0.033
योग							2.293	0.328
जिला - राजनांदगांव					राज्य - छत्तीसगढ़			
1	अनुविभागीय अधिकारी (रा०), राजनांदगांव, जिला - राजनांदगांव रायगढ़(छ.ग.)	राजनांदगांव	अचानक पुर भाठापारा	भुषण पिता केजराम केंवट निवासी ठाकुरटोला	Krishi	101/2	0.809	0.064
				भुषण पिता केजराम केंवट निवासी ठाकुरटोला	Krishi	101/3	0.551	0.267
योग							1.360	0.331

[फा. सं. सीपीएम/बीएसपी/इले/2X25 के.वी. ओ.एच.ई./भूमि अधि./20 E/2200]

मुदित भटनागर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS
(South East Central Railway)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 1st June, 2026

Notification Under Section 20 E Of The Railway Act 1989

S.O. 2856(E).— Whereas by the notification of the Government of India, In the Ministry of Railways (Railway Board) number **1506**, dated the **25 March 2026** published in the Gazette of India (Extra-Ordinary) Part-II section 3 sub section (ii) , hereinafter referred to as the said notification) under subsection (1) of 20A of the railway act,1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act),the central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution of Special Railway Project, namely for Up-gradation of existing 1x25KV Traction System to 2x25KV OHE with AT feeder arrangement between Jharsugda-Raigarh, **Raigarh-Champa**, Champa-Bilaspur, Tilda-Bilaspur, Tilda-Durg, Mundikota-Nagpur, Bilaspur-Pendra Road-Anuppur, Raipur-Lakholi, **Durg- Darekasa** sections over SEC Railway to meet 3000MT loading target in the state of Odisha, **Chhattisgarh**, Maharashtra over SEC railway. And, whereas the substance of the said notification 20 A was published as per section 20A sub section (4) in the daily Newspapers **Hari Bhoomi (Hindi), Jankarm (Hindi), Central Chronicle (English) on 09/04/2026** and whereas, **no objection was received within the set time period** and disposed of by the Competent Authority under section 20D of the said Act; and, whereas, in pursuance of subsection (1) of section 20E of the said act, the Competent Authority has submitted his report to the central Government. Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub section (1) of the section 20E of the said act 1989, the central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose; and, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all Encumbrances.

District – Raigarh					State - Chhattisgarh			
S.N.	SDM (Rev.)/ Competent Authority	Name of Tehsil	Name of Village	Nature of ownership	Nature of land	Khasra no.	Total area (in Hec)	Area to be acquired (in Hec)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SDM (Rev) Kharsia (Distt. - Raigarh),	Kharsia	Bagdeva	Nonibai beva Girdhari, Shankarlal pita Girdhari, jati – Gond, Sa. Deh, Bhumi swami	Krishi	84/1	0.300	0.028
				Khikram urf Preamsingh pita – Mituram, jati – Gond, Sa. Deh Bhumi Swami	Krishi	84/4	0.049	0.049
				Santram pita – Chhedilal, Anya pichhra varg Ravat Sa. Deh Bhumi Swami	Krishi	81/1	0.260	0.102
				Kamalsingh Pita – Bhajoram, Ramaiya, Pita- Sonsay, Rakesh, pita-Sonsay, Kamlmati pita – Bhajoram, Bisahinbai pati - Bhajoram,	Krishi	81/2	0.551	0.116

				Sarita pati– Sonsay, Jati – Ravat Sa. Deh Bhumiswami				
				1) Chandirka Bai, pati – Mahettar	Krishi	161	1.133	0.033
				(2) Ramlal, pati – Setray, Jati – Ganda, Sa. Deh Bhumi Swami				
						Total	2.293	0.328
	District – Rajnandgaon				State – Chhattisgarh			
1	SDM (Rev) Rajnandgaon (Distt. – Rajnandgaon)	Rajnandgaon	Achanakpur Bhathapaara	Bhushan, pita – Kejram Kevat, Thakurtola	Krishi	101/2	0.809	0.064
				Bhushan, pita – Kejram Kevat, Thakurtola	Krishi	101/3	0.551	0.267
						Total	1.360	0.331

[F. No. CPM/Ele. /BSP/2x25KV OHE/Land Acquisition/20E /2200]

MUDIT BHATNAGAR, Chief Administrative Officer (Con.)